

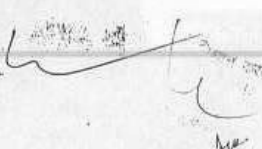


0.0506,2/3 हे0 शून्य दशमलव शून्य पांच शून्य छः सही दो बटा तीन हैक्टयर, लगान 2.50 रुपये सालाना स्थित ग्राम जाटोली, परगना दोराला राहशील राधना गिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यवितगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक वुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक वुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साड़ी, जैली व कायिज नहीं है तथा भीके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के समग्र में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रियूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचारधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर







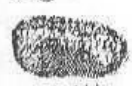
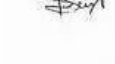
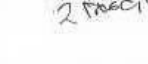
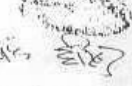


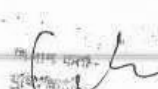


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



गुमि सीगारोपण अभिनियम 1078 को प्राविधानों को अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 12,73,143/- बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ तितालीस रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी रस्ते एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 12,73,143/- बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ तितालीस रुपये कि आधे जिसके अंकन


(h) Chemical Materials

22. Santhana (Macrura)

Advocate  
for the People

12th. ~~S. rostratus~~ 12.1.1921

\*2th. 6/11/1919

10050005005

प्रदेश P:



UTTAR PRADESH

5

6,36,51.50 रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बारह खम्बा रोड, ईई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0वी0 शर्मा निवासी निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य रास्ते की सुविधा हेतु नकद घर पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेगा। किसी को कोई

Handwritten signatures and stamps are present below the text. The signatures are written in Hindi and include names like 'Rajendra Sharma' and 'S. V. Sharma'. There are also circular stamps, some of which appear to be official seals or marks.

[illegible]





प्रदेश UTTAR PRADESH



आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं राजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समायानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसका चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेतागण को उक्त खसरा नम्बर में कोई अश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति





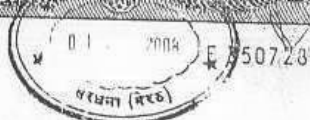


उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



7

समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

विवरण प्रति विक्रय मूल्य:

अंकन 3,18,288/- रुपये बैंक नम्बर 141391 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,288/- रुपये बैंक नम्बर 141392 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,287/- रुपये बैंक नम्बर 141389 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,287/- रुपये बैंक नम्बर 141390 दिनांकित 22.11.2008

एक्सिस बैंक लि० शाखा मेरठ

दिनांक: 12.2008 (पांच दिसम्बर सन दो हजार आठ ई०)

मसविदा: सिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

उत्तर प्रदेश

घोष  
उप  
हस्त

Shi